अनुदान संख्या 65 - खान मंत्रालय
GRANT No. 65 - MINISTRY OF MINES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged-*				
मूल	*Original*	*14,00*	*28,00*	*15,22*	*-12,78*
पूरक	*Supplementary*	*14,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*12,82*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	526,21,00	580,04,00	571,92,13	-8,11,87
पूरक	Supplementary	53,83,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,44,71
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	39,79,00	79,79,00	76,00,30	-3,78,70
पूरक	Supplementary	40,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,78,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹12.78 लाख*) अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए *₹14.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 91 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 46 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि *(₹12.82 लाख)* कुल बचतों से भी अधिक हो गई।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹811.87 लाख) नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹12.78 lakhs*) constituted 91 percent of the supplementary *appropriation* of *₹14.00 lakhs* obtained in August, 2010 and 46 percent of the total sanctioned *appropriation*. Amount surrendered *(₹12.82 lakhs)* also exceeded the overall savings.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹811.87 lakhs)

किए गए ₹5383.00 लाख के पूरक अनुदानों का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

constituted 15 percent of the supplementary grants of ₹5383.00 lakhs obtained in November, 2010 and March, 2011 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1293.00			
पू.	S.	95.00	1773.00	1573.15	-199.85
पु.	R.	385.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1475.00			
			..	..	..
पु.	R.	-1475.00			
मुख्य शीर्ष "2853"	Major Head "2853"				
अलौह खनन तथा	Non-Ferrous Mining and				
धातुकर्म उद्योग	Metallurgical Industries				
मू.	O.	49853.00			
पू.	S.	5288.00	55986.29	55618.98	-367.31
पु.	R.	845.29			

(I) ₹1475.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1135.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹1475.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹1135.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - निदेशन और प्रशासन-प्रशासनिक सहायता"- ₹980.00 लाख ; और

(ख) "खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो" - ₹155.00 लाख ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2853" - "खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो" - ₹5273.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹891.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6164.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, रिक्त पदों के न भरे जाने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बिलों को तरजीह न दिए जाने और लघु कार्यों के अंतर्गत कुछ प्राधिकार पत्रों को शामिल न किए जाने के कारण ₹138.51 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2853" - "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण-सर्वेक्षण और मानचित्रण - जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण" - ₹985.65 लाख की बचत (₹5325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जहाजरानी निगम के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - खान मंत्रालय"- ₹185.15 लाख का अधिक व्यय (₹95.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1388.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायकों के वेतन संशोधन हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, छुट्टी यात्रा रियायत और छुट्टी नकदीकरण के अधिक दावों और अवैध खनन की जांच-पड़ताल के लिए जांच आयोग स्थापित किए जाने के कारण हुआ।

(ख) मुख्य शीर्ष "2853" - "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण"-

(A) "Geological Survey of India – Direction and Administration - Administrative Support" – ₹980.00 lakhs; and

(B) "Regulation and Development of Mines – Bureau of Mines – Indian Bureau of Mines" – ₹155.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2853" - "Regulation and Development of Mines – Bureau of Mines - Indian Bureau of Mines" - the original provision of ₹5273.00 lakhs was augmented to ₹6164.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹891.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹138.51 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-preference of bills by Central Public Works Department and non-inclusion of some letters of authorisation under minor works.

(III) Under Major Head "2853" – "Geological Survey of India - Survey and Mapping – Ground, Aerial and Marine Survey" – saving of ₹985.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5325.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with Shipping Corporation of India.

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Mines" – excess of ₹185.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1388.00 lakhs including supplementary grant of ₹95.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay revision of Assistants, more claims of leave travel concession and leave encashment and on setting up of Commission of inquiry to inquire into illegal mining.

(B) Major Head "2853" – "Geological Survey of India" –

(क) ''निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता'' - ₹1516.72 लाख का अधिक व्यय (₹4375.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹38395.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतनों और क्षेत्र कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(a) "Direction and Administration – Administrative Support" – excess of ₹1516.72 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹38395.00 lakhs including supplementary grant of ₹4375.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and field operation.

(ख) ''प्रशिक्षण - मानव संसाधन विकास'' - ₹100.06 लाख का अधिक व्यय (₹125.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नवनियुक्त रंगरूटों के लिए 34वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रशिक्षण क्रियाकलाप और अधिक किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Training – Human Resource Development" – excess of ₹100.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹125.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards conducting of 34th orientation course for newly appointed recruitees and increased training activities being undertaken by Geological Survey of India as per High Power Committee's recommendation.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹78.84 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹78.84 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	425.00	..	..	..
पु.	R.	-425.00			

(I) ₹426.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹425.00 लाख मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''खनिज अन्वेषण और विकास - अन्य व्यय '' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण'' - ₹300.00 लाख; और

(खा) ''भारतीय खान ब्यूरो'' - ₹125.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹426.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹425.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - "Mineral Exploration and Development – Other Expenditure" - under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India"- ₹300.00 lakhs; and

(B) "Indian Bureau of Mines" – ₹125.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.